संख्या-133/2026/I/1348386/2026/89-1001(099)/59/2019

प्रेषक,

डा0 हरिओम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव/अधिशासी निदेशक,
राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्, उ0प्र0,
लखनऊ।

व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास और उद्यमशीलता अनुभाग लखनऊः दिनाँक: 01 जून, 2026

विषयः- **प्रदेश के राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में वर्ष 2026-2027 एवं अग्रेतर वर्षों के प्रवेश सत्र हेतु प्रवेश प्रक्रिया के निर्धारण के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-261/ई0टी0-004/एस0सी0वी0टी0/मुख्य पत्रावली/जी0ओ0/2026, दिनांक 12.05.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2 प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों **(राजकीय आई0टी0आई0)**, पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों **(राजकीय आई0टी0आई0-पी0पी0पी0)** एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों **(निजी आई0टी0आई0)** में प्रवेश प्रक्रिया के निर्धारण विषयक पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनाँक: 06 जून, 2022 एवं शासनादेश दिनाँक: 20 जून, 2024 को अवक्रमित करते हुए सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2026-2027 एवं अग्रेतर वर्षों के प्रवेश सत्र हेतु प्रदेश के समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु निम्नानुसार प्रवेश प्रक्रिया निर्धारित की जाती हैः-

(A) **ऑन-लाइन आवेदन प्रक्रिया एवं सामान्य सिद्धान्तः-**

(i) ऑन-लाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी के पास यह विकल्प उपलब्ध होगा कि वहः-

मात्र राजकीय आई0टी0आई0/राजकीय आई0टी0आई0-पी0पी0पी0 हेतु आवेदन करे

अथवा

मात्र निजी आई0टी0आई0 हेतु आवेदन करे

अथवा

राजकीय एवं निजी आई0टी0आई0 दोनों हेतु आवेदन करे

आवेदन की प्रत्येक स्थिति में पंजीकरण शुल्क उसके जाति वर्ग के अनुसार एक ही बार देय होगा। ऑन-लाइन आवेदन हेतु अभ्यर्थी को अपना व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक योग्यता के प्राप्तांक व पूर्णांक (कक्षा-8 उत्तीर्ण के सन्दर्भ में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

समस्त विषयों के समेकित तथा कक्षा-10 के सन्दर्भ में विषयवार), आरक्षण वर्ग एवं अधिमानी अर्हताओं सम्बन्धी सूचनाओं आदि की प्रविष्टि करनी होगी।

(ii) किसी भी जनपद के समस्त राजकीय आई0टी0आई0 तथा राजकीय आई0टी0आई0-पी0पी0पी0 में 75 प्रतिशत सीटें उस जनपद के निवास प्रमाण-पत्र धारक अभ्यर्थियों हेतु तथा 25 प्रतिशत सीटें अन्य किसी भी जनपद के निवास प्रमाण-पत्र धारक अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित होंगी। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत जनपद के निवास प्रमाण-पत्र धारक अभ्यर्थियों हेतु निर्धारित 75 प्रतिशत सीटों में से जो सीटें रिक्त/खाली रह जायेंगी, उन्हे अन्य जनपद के निवास प्रमाण-पत्र धारक अभ्यर्थियों की सीटों में सम्मिलित कर आवंटन की कार्यवाही पूर्ण की जायगी। राजकीय आई0टी0आई0 तथा राजकीय आई0टी0आई0-पी0पी0पी0 में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को अपने जनपद अथवा राज्य स्तर के आरक्षण की सहमति का भी विकल्प प्रदान किया जाएगा।

(iii) अभ्यर्थी द्वारा अपनी शैक्षिक योग्यता के अनुसार प्रदेश के किसी भी जनपद के राजकीय आई0टी0आई0/राजकीय आई0टी0आई0-पी0पी0पी0/निजी आई0टी0आई0 में संचालित व्यवसायों की मान्यता [राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (NCVT)/राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (SCVT)] के अनुरुप उनमें प्रवेश हेतु अपनी वरीयता के विकल्प भरे जा सकते हैं।

(iv) ऑन-लाइन आवदेन के प्रारम्भ में प्रदेश के समस्त आई0टी0आई0 में व्यवसायवार NCVT और SCVT से मान्यता प्राप्त सीटों को प्रदर्शित किया जायेगा, जिनके अनुरुप अभ्यर्थियों द्वारा वरीयता के क्रम में अपने विकल्प योजित/भरे जायेंगे। किन्तु भारत सरकार द्वारा प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि तक यदि किसी भी आई0टी0आई0 के किसी भी व्यवसाय की SCVT मान्यता की सीटों को NCVT मान्यता प्रदान कर दी जायेगी, तो उन व्यवसायों में प्रवेशित समस्त अभ्यर्थियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने एवं परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात NCVT द्वारा निर्गत अंक-पत्र व प्रमाण-प्रत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी शैक्षिक योग्यता के विवरण को भरा जायेगा, जिसके अन्तर्गत:

(A) यदि वह **मात्र कक्षा-8 उत्तीर्ण** व्यवसायों में प्रवेश हेतु इच्छुक है, तो उसके द्वारा कक्षा-8 के सभी विषयों के समेकित प्राप्तांक एवं पूर्णांक को भरा जायेगा।

अथवा

(B) यदि **वह मात्र कक्षा-10 उत्तीर्ण** व्यवसायों में प्रवेश हेतु इच्छुक है, तो उसके द्वारा कक्षा-10 के समस्त विषयों के प्राप्तांक एवं पूर्णांक को भरा जायेगा।

अथवा

(C) यदि वह **दोनो अर्थात कक्षा-8 एवं कक्षा-10 उत्तीर्ण व्यवसायों** में प्रवेश हेतु इच्छुक है, तो उसके द्वारा कक्षा-8 के सभी विषयों के समेकित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्राप्तांक एवं पूर्णांक एवं कक्षा-10 के समस्त विषयों के प्राप्तांक एवं पूर्णांक को भरा जायेगा।

(vi) यदि अभ्यर्थी को सम्बन्धित बोर्ड/परिषद्/संस्था द्वारा विषयों में अंकों के स्थान पर सी0जी0पी0ए0/सी0पी0आई0 (CGPA/CPI) प्रदान किया गया है, तो उसे उनके स्थान पर समतुल्य अंक भरने होंगे।

(vii) **ऑन-लाइन आवेदन हेतु कम से कम 25 कार्य दिवस का समय प्रदान किया जाएगा। ऑन-लाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन में उल्लिखित की गयी प्रविष्टियों में हुयी किसी भी प्रकार की त्रुटियों के संशोधन हेतु आवेदन की अंतिम तिथि के उपरान्त 02 दिन का अतिरिक्त समय प्रदान किया जायेगा।**

(viii) चयनित अभ्यर्थी द्वारा ऑन-लाइन आवेदन के समय की गई प्रविष्टियों से संबंधित शैक्षिक योग्यता, आरक्षण वर्ग एवं अधिमानी अर्हता संबंधी मूल अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित राजकीय आई0टी0आई0/राजकीय आई0टी0आई0-पी0पी0पी0/निजी आई0टी0आई0 द्वारा प्रवेश के समय किया जाएगा। प्रत्येक प्रवेशित अभ्यर्थी के समस्त मूल अभिलेख उसके प्रवेशित आई0टी0आई0 में जमा रहेंगे, जिन्हे नाम कटाने अथवा प्रवेश प्रक्रिया की समाप्ति के पश्चात वापस किया जायेगा। प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी को प्रवेश के समय अपना अंतिम विद्यालय स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (Last School Transfer Certificate-TC) जमा करना होगा। यदि किसी भी चयनित अभ्यर्थी के पास प्रवेश के समय अंतिम विद्यालय स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं होगा, तो इसके लिये उसे 01 माह का समय प्रदान किया जायेगा। प्रवेश के पश्चात प्रशिक्षण पूर्ण होने अथवा नाम कटने/कटाने की स्थिति में अभ्यर्थी को सम्बन्धित आई0टी0आई0 द्वारा स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा।

(ix) राजकीय आई0टी0आई0/राजकीय आई0टी0आई0-पी0पी0पी0/निजी आई0टी0आई0 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण तथा क्षैतिज प्रकृति के आरक्षण की व्यवस्था शासनादेश संख्या-531/89-व्या0शि0-2013-21(बी)/2010, दिनाँक: 22 अप्रैल 2013 के अनुसार प्रभावी होगी।

(x) राजकीय आई0टी0आई0/राजकीय आई0टी0आई0-पी0पी0पी0 में व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग, उ0प्र0 के नियमित/सेवानिवृत्त कार्मिक के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी को प्रवेश में 10 अंक की वरीयता प्रदान की जायेगी अर्थात मेरिट के अंक में 10 जोड़े जायेंगे।

(xi) राजकीय आई0टी0आई0/राजकीय आई0टी0आई0-पी0पी0पी0/निजी आई0टी0आई0 में प्रवेश हेतु राज्य स्तरीय खिलाड़ी अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित 03 अंक की वरीयता प्रदान की जायेगी किन्तु इसकी पूर्ति के अन्तर्गत खिलाड़ी अभ्यर्थी के पास संबंधित मान्यता प्राप्त स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र अनिवार्य रुप से उपलब्ध होना चाहिये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
https://shasanadesh.up.gov.in

(xii) उद्योगों द्वारा नामित कार्यरत कर्मचारियों हेतु राजकीय आई0टी0आई0 एवं भारत सरकार द्वारा सहायतित पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप योजना से आच्छादित राजकीय आई0टी0आई0 में संस्थान प्रबन्धन समिति (Institute Management Committee-IMC) के कोटे के अन्तर्गत आच्छादित सीटों पर अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु शासनादेश संख्याः 5160/89 व्या0शि0एवंकौ0वि0वि0-2014-125(बी)/1987टीसी, दिनाँक: 04 फरवरी, 2015 एवं शासनादेश संख्याः 208/2015/3993/89-व्या0शि0एवंकौ0वि0वि0-2015-125(बी)/ 1987टीसी, दिनाँक: 24 नवम्बर, 2015 द्वारा स्थापित व्यवस्था पूर्ववत् लागू रहेगी।

(xiii) आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section-EWS) के ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था से आच्छादित नहीं है, को प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गये/जाने वाले शासनादेश के अनुसार 10 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जाएगा।

(xiv) राजकीय आई0टी0आई0/राजकीय आई0टी0आई0-पी0पी0पी0/निजी आई0टी0आई0 हेतु कक्षा-8 तथा कक्षा-10 की अर्हकारी शैक्षिक योग्यता के आधार पर पृथक-पृथक रैंक/मेरिट सूची तैयार की जाएगी।

(xv) सीट आवंटन पाँच चरणों में पूर्ण किया जाएगा, जिसमें से प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ चरण में सीट आवंटन आई0टी0आई0वार/व्यवसायवार (NCVT/SCVT) अर्हकारी शैक्षिक योग्यता की राज्यस्तरीय रैंक/मेरिट के आधार पर तथा पंचम चरण में सीट आवंटन जनपदस्तरीय मेरिट के आधार पर किया जाएगा।

(xvi) प्रवेश के प्रत्येक चरण के अन्तर्गत अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट के अनुरुप आवेदित किये गये जनपद/आई0टी0आई0/व्यवसाय के विकल्प के क्रम में सीट आवंटित की जायेगी तथा उसकी सूचना अभ्यर्थी को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर मैसेज के माध्यम से प्रेषित की जायेगी। अभ्यर्थी को आवंटित हुई सीट के सापेक्ष उसके द्वारा उसे आवंटित आई0टी0आई0 में प्रवेश हेतु सम्पर्क किया जायेगा, जहाँ आई0टी0आई0 द्वारा उसकी शैक्षिक योग्यता एवं अन्य सूचनाओं का सत्यापन करने के पश्चात उससे नियमानुसार प्रशिक्षण शुल्क एवं जमानत धनराशि को प्राप्त करते हुये उसकी सीट को लॉक अर्थात Freeze कर उसका प्रवेश पूर्ण किया जायेगा। इसके साथ-साथ आई0टी0आई0 द्वारा प्रवेशित हुये अभ्यर्थी से उच्चीकरण के विकल्प पर उसकी सहमति/असहमति प्राप्त की जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा उच्चीकरण के विकल्प पर सहमति प्रदान किये की स्थिति में आई0टी0आई0 द्वारा Float विकल्प को Lock किया जायेगा।

(xvii) निजी आई0टी0आई0 में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में रिक्त सीटों के विरुद्ध जनपद/संस्थान/व्यवसाय के उच्चीकृत विकल्प को दिए जाने हेतु "Freeze/Float" की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। उच्चीकरण प्रक्रिया के अन्तर्गत यदि आवेदक चयनित व्यवसाय/संस्थान में प्रवेश ले लेता है और आवंटित व्यवसाय को Freeze करता है, तो उसे नियमानुसार निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

जमा करना होगा तथा यदि आवेदक द्वारा Float का विकल्प चुना जाता है, तो वह Seat Acceptance Rs.1000/- शुल्क, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 (एस0सी0वी0टी0, उ0प्र0) के बैंक खाते में ऑनलाइन जमा करेगा और उसकी रसीद लेकर प्रवेशित निजी आई0टी0आई0 में अपना प्रवेश लिया जाना सुनिश्चित करेगा। उच्चीकरण होने की स्थिति में अभ्यर्थी जिस नवीन आवंटित आई0टी0आई0 में प्रवेश लेगा, उसके द्वारा जमा किये गये Seat Acceptance Rs.1000/- शुल्क को एस0सी0वी0टी0, उ0प्र0 द्वारा प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त उसके नवीन प्रवेशित आई0टी0आई0 में हस्तांतरित कर दिया जायेगा एवं अन्य प्रक्रिया उक्त बिन्दु-(xvi) की भाँति पूर्ण की जायेगी।

(xviii) निजी आई0टी0आई0 में प्रवेश हेतु किसी भी चरण में किसी भी व्यवसाय हेतु यदि अभ्यर्थियों द्वारा विकल्प नहीं दिये गये हैं अर्थात प्रवेश हेतु अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं, तो उक्त चरण से ही पंचम चरण में प्रवेश की व्यवस्था के अनुरुप रिक्त सीटों को भरने की कार्यवाही निजी आई0टी0आई0 द्वारा की जा सकेगी। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत निजी आई0टी0आई0 में रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु आरक्षण की व्यवस्था शिथिल रहेगी तथा निजी आई0टी0आई0 को यह सुविधा प्राप्त होगी कि वह पोर्टल से इतर अर्थात बाहर के योग्यताधारक अभ्यर्थियों का प्रथमतः पोर्टल पर निर्धारित शुल्क जमा कराकर पंजीकरण कराते हुये अपने आई0टी0आई0 में रिक्त सीटों पर उनका प्रवेश कर सकेंगे।

(xix) आरक्षण एवं प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नवीनतम शासनादेश ही प्रभावी होंगे।

(xx) आई0टी0आई0 में प्रवेश के लिये सामान्य एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों से रुपये 300.00 तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों से रुपये 250.00 का ऑन-लाइन आवेदन शुल्क लिया जायेगा। आई0टी0आई0 में अधिकाधिक महिलाओं को प्रवेश लेने के लिये प्रोत्साहित किये जाने के क्रम में समस्त वर्ग की महिला आवेदकों से रुपये 100.00 का ऑन-लाइन आवेदन शुल्क लिया जायेगा।

(xxi) समस्त आई0टी0आई0 की प्रवेश प्रक्रिया पाँच चरणों में सम्पादित होगी, जिसके अन्तर्गत प्रथम चार चरण की प्रवेश प्रक्रिया राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर सम्पन्न करायी जायेगी तथा पंचम चरण में प्रवेश जनपद स्तरीय मेरिट के आधार पर किये जायेंगे। इसके उपरान्त भी यदि कोई सीट रिक्त रह जायेगी, तो Walk in नीति के अनुसार अंतिम तिथि तक प्रवेश किये जा सकेंगे।

(B) **अर्हकारी शैक्षिक योग्यता के प्राप्तांक की मेरिट के आधार पर प्रथम चरण में ऑनलाइन सीटों का आवंटनः-**

(i) एस0सी0वी0टी0, उ0प्र0 द्वारा आरक्षण नियमों के अनुरुप राजकीय आई0टी0आई0/राजकीय आई0टी0आई0-पी0पी0पी0/निजी आई0टी0आई0 हेतु व्यवसायवार, एवं वर्ग वार सीटों का विवरण तैयार कराया जाएगा एवं उसके सापेक्ष सीटों का आवंटन किया जायेगा। अभ्यर्थियों के बुलावा पत्र पर राजकीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
https://shasanadesh.up.gov.in

तथा निजी आई0टी0आई0 में उसके द्वारा अपनी अर्हकारी शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर किये गये आवेदन के अनुरुप रैंक प्रदर्शित होगी।

(ii) यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा राजकीय एवं निजी आई0टी0आई0 (दोनों) में प्रवेश हेतु आवेदन किया गया है तथा उसे राजकीय एवं निजी आई0टी0आई0 दोनों में प्रवेश का अवसर प्राप्त हो जाता है, तो वह जिस आई0टी0आई0 में प्रथम (पहला) प्रवेश लेगा, वही उसका अंतिम प्रवेश माना जाएगा तथा दूसरे आई0टी0आई0 में उसका हुआ चयन स्वतः निरस्त माना जाएगा।

(iii) यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा दोनो अर्थात कक्षा-8 एवं कक्षा-10 उत्तीर्ण अर्हकारी शैक्षिक योग्यता के आधार पर संचालित व्यवसायों में प्रवेश हेतु आवेदन किया गया है तथा उसे दोनो अर्हकारी शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर संचालित व्यवसायों में एक अथवा पृथक आई0टी0आई0 में सीट आवंटित हो जाती हैं, तो वह अपनी स्वेच्छा के अनुरुप जिस अर्हकारी शैक्षिक योग्यता के व्यवसाय/आई0टी0आई0 में प्रवेश लेगा, वही उसका अंतिम प्रवेश माना जाएगा तथा अन्य अर्हकारी शैक्षिक योग्यता के व्यवसाय/आई0टी0आई0 में उसे आवंटित सीट स्वतः निरस्त हो जायेगी साथ ही:-

- ❖ यदि अभ्यर्थी द्वारा कक्षा-8 उत्तीर्ण व्यवसाय के अन्तर्गत आवंटित सीट में प्रवेश लिया गया है, तो द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ चरण की प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत उसका उच्चीकरण उसके विकल्पों के क्रम में कक्षा-8 उत्तीर्ण व्यवसायों हेतु ही होगा।

अथवा

- ❖ यदि अभ्यर्थी द्वारा कक्षा-10 उत्तीर्ण व्यवसाय के अन्तर्गत आवंटित सीट में प्रवेश लिया गया है, तो द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ चरण की प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत उसका उच्चीकरण उसके विकल्पों के क्रम में कक्षा-10 उत्तीर्ण व्यवसायों हेतु ही होगा।

(iv) प्रदेश के राजकीय एवं निजी आई0टी0आई0 में प्रथम चरण में सीटों के आवंटन की प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए उसके द्वारा अंकित प्रथम वरीयता के जनपद/संस्थान/व्यवसाय के लिए यह परीक्षण किया जायेगा कि क्या उसकी मेरिट एवं आरक्षण वर्ग के आधार पर उसके द्वारा चिन्हित प्रथम वरीयता के जनपद/संस्थान/ व्यवसाय में सीट आवंटित की जा सकती है। यदि ऐसा नहीं है, तो उसके द्वारा वरीयता क्रम में चिन्हित अगले जनपद/संस्थान/व्यवसाय के लिए यही प्रक्रिया दोहराई जायेगी, जब तक उसके द्वारा वरीयता के क्रम में चिन्हित समस्त जनपद/संस्थान/व्यवसाय में कोई सीट आवंटित ना हो जाए अथवा उसके द्वारा चिन्हित जनपद/संस्थान/व्यवसाय में कोई सीट उपलब्ध न बचे।

(v) तत्पश्चात अगली वरीयता क्रम के अभ्यर्थी के लिए यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी और इसी क्रम में समस्त अभ्यर्थियों के लिए इस प्रक्रिया का पालन करते हुए सीटों का आवंटन किया जाएगा, जब तक कि समस्त उपलब्ध सीटें आवंटित नहीं हो जाती हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(vi) अभ्यर्थी द्वारा पंजीकृत किए गए व्यवसाय एवं संस्थानों के विकल्प के आधार पर सीट आवंटन के चयन का परिणाम एस0सी0वी0टी0, उ0प्र0 स्तर से परीक्षण समिति गठित कर उसकी संस्तुति के आधार पर आगामी 03 दिवसों में तैयार कराकर एस0सी0वी0टी0, उ0प्र0 की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा, तथा चयनित अभ्यर्थियों को उनके मोबाइल पर मैसेज के द्वारा भी सूचना भेजी जाएगी। उक्त आशय की मात्र विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को आवंटित व्यवसाय/संस्थान में प्रवेश लेने के लिए 06 कार्य दिवसों का समय प्रदान किया जाएगा।

(vii) प्रत्येक अभ्यर्थी से उसके प्रवेश के समय सम्बन्धित आई0टी0आई0 द्वारा यह विकल्प भी प्राप्त किया जायेगा कि वह अग्रेतर चरण की प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत उच्चीकरण हेतु इच्छुक है अथवा नहीं। ऐसे अभ्यर्थी, जो उच्चीकरण के विकल्प पर सहमति प्रदान करेंगे, वे ही अग्रेतर चरण में उच्चीकरण हेतु पात्र होंगे अर्थात सम्मिलित किये जायेंगे।

(viii) यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में प्रवेश नहीं लेता है, तो उसका आवंटन निरस्त/रद्द माना जाएगा, तथा वह अग्रेतर द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ चरण की प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा अर्थात उसे अग्रेतर द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ चरण की प्रवेश प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा।

(ix) निजी आई0टी0आई0 में प्रवेश हेतु किसी भी चरण में किसी भी व्यवसाय हेतु यदि अभ्यर्थियों द्वारा विकल्प नहीं दिये गये हैं अर्थात प्रवेश हेतु अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं, तो उक्त चरण से ही पंचम चरण में प्रवेश की व्यवस्था के अनुरुप रिक्त सीटों को भरने की कार्यवाही निजी आई0टी0आई0 द्वारा की जा सकेगी। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत निजी आई0टी0आई0 में रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु आरक्षण की व्यवस्था शिथिल रहेगी तथा निजी आई0टी0आई0 को यह सुविधा प्राप्त होगी कि वह पोर्टल से इतर अर्थात बाहर के योग्यताधारक अभ्यर्थियों का प्रथमतः पोर्टल पर निर्धारित शुल्क जमा कराकर पंजीकरण कराते हुये अपने आई0टी0आई0 में रिक्त सीटों पर उनका प्रवेश कर सकेंगे।

(C) **द्वितीय चरण (उच्चीकरण सूची एवं नवीन आवंटन सूची):-**

(i) राजकीय एवं निजी आई0टी0आई0 में प्रथम चरण में प्रवेश नहीं लेने वाले अभ्यर्थियों के कारण रिक्त रह गयी सीटों पर अन्य प्रवेशित ऐसे प्रशिक्षार्थियों का उच्चीकरण किया जायेगा, जिन्होने अपने प्रथम चरण के प्रवेश के समय उच्चीकरण के विकल्प पर सहमति प्रदान की थी। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रवेशित प्रशिक्षार्थी को पोर्टल पर उसकी मेरिट के अनुरुप उच्चीकरण से सम्बन्धित जनपद/संस्थान/व्यवसाय में सीट आवंटित की जायेगी तथा इसकी सूचना प्रशिक्षार्थी को उसके पंजीकृत मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से भी प्रेषित की जायगी। इसके साथ-साथ समस्त सम्बन्धित आई0टी0आई0 को उच्चीकरण की सूची उपलब्ध कराई जायेगी, जिससे कि प्रशिक्षार्थी नवीन जनपद/संस्थान/व्यवसाय में प्रवेश ले सके। महत्वपूर्ण यह है कि उच्चीकरण की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रक्रिया में किसी भी प्रवेशित प्रशिक्षार्थी को पुनः प्रशिक्षण शुल्क एवं जमानत धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(ii) उच्चीकरण की प्रक्रिया में उच्चीकृत हुये प्रशिक्षार्थी को अपने प्रथम चरण में प्रवेशित आई0टी0आई0 में सम्पर्क करना होगा, जहाँ प्रशिक्षार्थी को उसके नवीन आवंटन के आई0टी0आई0 में प्रवेश लेने के लिये हस्तांतरण पत्र जारी किया जायेगा तथा आई0टी0आई0 द्वारा उसके समस्त मूल अभिलेख नवीन आवंटित आई0टी0आई0 को प्रेषित किये जायेंगे। इस प्रकार प्रशिक्षार्थी नवीन आवंटित जनपद/संस्थान/व्यवसाय में प्रवेश हेतु सम्पर्क करेगा। उल्लेखनीय है कि उच्चीकृत हुये प्रशिक्षार्थी के कारण रिक्त हुई उसकी सीट पर उसका प्रवेश समाप्त हो जायेगा तथा वह सीट अगली मेरिट के प्रशिक्षार्थी/अभ्यर्थी को उसके विकल्प के क्रम में आवंटित कर दी जायेगी।

(iii) राजकीय एवं निजी आई0टी0आई0 में उच्चीकरण की प्रक्रिया के पूर्ण होने के उपरांत सर्वप्रथम ऐसे अभ्यर्थियों को अलग कर दिया जाएगा, जिन्हें प्रथम चरण में कोई भी राजकीय एवं निजी आई0टी0आई0 आवंटित हुआ था। तत्पश्चात राजकीय एवं निजी आई0टी0आई0 की अवशेष सीटों के लिए आवंटन की प्रक्रिया पुनः प्रथम चरण के प्रस्तर-(B)(iv) के अनुसार सम्पादित की जाएगी तथा उक्त के अनुसार तैयार अपग्रेडेशन सूची एवं द्वितीय चयन सूची पुनः एस0सी0वी0टी0, उ0प्र0 की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी तथा चयनित अभ्यर्थियों को उनके मोबाइल पर मैसेज के द्वारा सूचना भेजी जाएगी। उक्त आशय की मात्र विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई जाएगी। दूसरे चरण के प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत पुनः परिणामी रिक्त सीटों का आंकलन किया जाएगा।

(iv) जिन अभ्यर्थियों ने उच्चीकरण के विकल्प (Float) को स्वीकार करते हुये उस पर सहमति प्रदान की है तथा उनके द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक नवीन आवंटित जनपद/संस्थान/व्यवसाय में उपस्थिति होकर प्रवेश नहीं लिया जायेगा, तो उनका नवीन आवंटित जनपद/संस्थान/व्यवसाय का प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।

(v) निजी आई0टी0आई0 में प्रवेश हेतु किसी भी चरण में किसी भी व्यवसाय हेतु यदि अभ्यर्थियों द्वारा विकल्प नहीं दिये गये हैं अर्थात प्रवेश हेतु अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं, तो उक्त चरण से ही पंचम चरण में प्रवेश की व्यवस्था के अनुरुप रिक्त सीटों को भरने की कार्यवाही निजी आई0टी0आई0 द्वारा की जा सकेगी। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत निजी आई0टी0आई0 में रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु आरक्षण की व्यवस्था शिथिल रहेगी तथा निजी आई0टी0आई0 को यह सुविधा प्राप्त होगी कि वह पोर्टल से इतर अर्थात बाहर के योग्यताधारक अभ्यर्थियों का प्रथमतः पोर्टल पर निर्धारित शुल्क जमा कराकर पंजीकरण कराते हुये अपने आई0टी0आई0 में रिक्त सीटों पर उनका प्रवेश कर सकेंगे।

(D) **तृतीय चरण (उच्चीकरण सूची एवं नवीन आवंटन सूची):-**

(i) राजकीय एवं निजी आई0टी0आई0 में द्वितीय चरण में प्रवेश नहीं लेने वाले अभ्यर्थियों के कारण रिक्त रह गयी सीटों पर अन्य प्रवेशित ऐसे प्रशिक्षार्थियों का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उच्चीकरण किया जायेगा, जिन्होने अपने द्वितीय चरण के प्रवेश के समय उच्चीकरण के विकल्प पर सहमति प्रदान की थी। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रवेशित प्रशिक्षार्थी को पोर्टल पर उसकी मेरिट के अनुरुप उच्चीकरण से सम्बन्धित जनपद/संस्थान/व्यवसाय में सीट आवंटित की जायेगी तथा इसकी सूचना प्रशिक्षार्थी को उसके पंजीकृत मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से भी प्रेषित की जायगी। इसके साथ-साथ समस्त सम्बन्धित आई0टी0आई0 को उच्चीकरण की सूची उपलब्ध कराई जायेंगी, जिससे कि प्रशिक्षार्थी नवीन जनपद/संस्थान/व्यवसाय में प्रवेश ले सके। महत्वपूर्ण यह है कि उच्चीकरण की प्रक्रिया में किसी भी प्रवेशित प्रशिक्षार्थी को पुनः प्रशिक्षण शुल्क एवं जमानत धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(ii) उच्चीकरण की प्रक्रिया में उच्चीकृत हुये प्रशिक्षार्थी को अपने द्वितीय चरण में प्रवेशित आई0टी0आई0 में सम्पर्क करना होगा, जहाँ प्रशिक्षार्थी को उसके नवीन आवंटन के आई0टी0आई0 में प्रवेश लेने के लिये हस्तांतरण पत्र जारी किया जायेगा तथा आई0टी0आई0 द्वारा उसके समस्त मूल अभिलेख नवीन आवंटित आई0टी0आई0 को प्रेषित किये जायेंगे। इस प्रकार प्रशिक्षार्थी नवीन आवंटित जनपद/संस्थान/व्यवसाय में प्रवेश हेतु सम्पर्क करेगा। उल्लेखनीय है कि उच्चीकृत हुये प्रशिक्षार्थी के कारण रिक्त हुई उसकी सीट पर उसका प्रवेश समाप्त हो जायेगा तथा वह सीट अगली मेरिट के प्रशिक्षार्थी/अभ्यर्थी को उसके विकल्प के क्रम में आवंटित कर दी जायेगी।

(iii) राजकीय एवं निजी आई0टी0आई0 में उच्चीकरण की प्रक्रिया के पूर्ण होने के उपरांत सर्वप्रथम ऐसे अभ्यर्थियों को अलग कर दिया जाएगा, जिन्हें द्वितीय चरण में कोई भी राजकीय एवं निजी आई0टी0आई0 आवंटित हुआ है। तत्पश्चात राजकीय एवं निजी आई0टी0आई0 की अवशेष सीटों के लिए आवंटन की प्रक्रिया पुनः प्रथम चरण के प्रस्तर-(B)(iv) के अनुसार सम्पादित की जाएगी तथा उक्त के अनुसार तैयार उच्चीकरण सूची एवं द्वितीय चयन सूची पुनः एस0सी0वी0टी0, उ0प्र0 की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी तथा चयनित अभ्यर्थियों को उनके मोबाइल पर मैसेज के द्वारा सूचना भेजी जाएगी। उक्त आशय की मात्र विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई जाएगी। तृतीय चरण के प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत पुनः परिणामी रिक्त सीटों का आंकलन किया जाएगा।

(iv) जिन अभ्यर्थियों ने उच्चीकरण के विकल्प (Float) को स्वीकार करते हुये उस पर सहमति प्रदान की है तथा उनके द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक नवीन आवंटित जनपद/संस्थान/व्यवसाय में उपस्थिति होकर प्रवेश नहीं लिया जायेगा, तो उनका नवीन आवंटित जनपद/संस्थान/व्यवसाय का प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।

(v) निजी आई0टी0आई0 में प्रवेश हेतु किसी भी चरण में किसी भी व्यवसाय हेतु यदि अभ्यर्थियों द्वारा विकल्प नहीं दिये गये हैं अर्थात प्रवेश हेतु अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं, तो उक्त चरण से ही पंचम चरण में प्रवेश की व्यवस्था के अनुरुप रिक्त सीटों को भरने की कार्यवाही निजी आई0टी0आई0 द्वारा की जा सकेगी। इस प्रक्रिया के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अन्तर्गत निजी आई0टी0आई0 में रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु आरक्षण की व्यवस्था शिथिल रहेगी तथा निजी आई0टी0आई0 को यह सुविधा प्राप्त होगी कि वह पोर्टल से इतर अर्थात बाहर के योग्यताधारक अभ्यर्थियों का प्रथमतः पोर्टल पर निर्धारित शुल्क जमा कराकर पंजीकरण कराते हुये अपने आई0टी0आई0 में रिक्त सीटों पर उनका प्रवेश कर सकेंगे।

(E) **चतुर्थ चरण (मात्र राजकीय आई0टी0आई0 में प्रवेशित अभ्यर्थियों हेतु):-**

(i) प्रथम तीन चरण के प्रवेश के उपरान्त ऐसे समस्त प्रवेशित प्रशिक्षार्थी, जो किन्ही कारणवश अपना प्रवेश निरस्त कराने हेतु इच्छुक हैं अर्थात अपना नाम कटाना चाहते हैं, तो उन्हे इसका अवसर पोर्टल के माध्यम से प्रदान किया जायेगा। नाम कटाने हेतु इच्छुक प्रशिक्षार्थी को एस0सी0वी0टी0, उ0प्र0 के पोर्टल पर लॉग-इन करना होगा। लॉग-इन के पाश्चात पोर्टल पर नाम कटाने से सम्बन्धित टैब प्रदर्शित हो जायेगी, जिसे क्लिक करने के पश्चात प्रशिक्षार्थी के सम्मुख निम्नलिखित विकल्प प्रदर्शित होंगे:-

- प्रवेश पृथक कराने के कारण (कृपया बॉक्स को टिक करें)
  - अन्य किसी भी शैक्षिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं
  - सेवायाजन/स्व-रोजगार करना चाहते हैं
  - पारिवारिक कारण है
  - स्वास्थय सम्बन्धी कारण है
  - अन्य कारण है
- नाम कटाने के कारण आपके द्वारा प्रवेश के समय जमा किया गया प्रशिक्षण शुल्क (Training Fees) तथा जमानत राशि (Caution Money) वापस नहीं होगी (कृपया बॉक्स को टिक करें)।
- आप अपने प्रवेश को पृथक करने (नाम कटाने) पर अंतिम सहमति प्रदान कर रहे हैं (कृपया बॉक्स को टिक करें)।

SUBMIT

(ii) समस्त इच्छुक प्रशिक्षार्थियों को अपना नाम कटाने के लिये 03 दिवस का समय प्रदान किया जायेगा। एक बार प्रशिक्षर्थी का नाम कटने के पश्चात वह पुनः उस प्रवेश को किसी भी स्थिति में वापस प्राप्त नहीं कर सकेगा।

(iii) एस0सी0वी0टी0, उ0प्र0 द्वारा प्रशिक्षार्थियों के नाम कटाने एवं अन्य कारण से रिक्त अर्थात कुल परिणामी रिक्त सीटों के सापेक्ष ऐसे समस्त प्रवेशित प्रशिक्षार्थियों को उनकी मेरिट/विकल्प के क्रम में उच्चीकरण का अवसर प्रदान किया जायेगा, जिन्होने किसी भी चरण में Float विकल्प पर सहमति प्रदान की है और किसी भी चरण में उनका उच्चीकरण नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में यह भी संज्ञान में लिया जायेगा कि किसी भी चरण में यदि प्रशिक्षार्थी ने Float विकल्प नहीं लिया है, तो वह उच्चीकरण हेतु पात्र नहीं होगा। एस0सी0वी0टी0, उ0प्र0 द्वारा उच्चीकरण के परिणाम को 02 दिवस में तैयार कर जारी किया जायेगा तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जिसकी सूचना प्रशिक्षार्थियों को उनके मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से भी प्रेषित की जायेगी। उच्चीकृत हुये समस्त प्रशिक्षार्थियों को प्रवेश लेने के लिये अग्रेतर 03 दिवस का समय प्रदान किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि उच्चीकृत हुये प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को नवीन आवंटित आई0टी0आई0/व्यवसाय में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में उसका उच्चीकरण से पूर्व का प्रवेश भी निरस्त/रद्द हो जायेगा।

(iv) उच्चीकरण की प्रक्रिया में उच्चीकृत हुये प्रशिक्षार्थी को अपने प्रथम चरण में प्रवेशित आई0टी0आई0 में सम्पर्क करना होगा, जहाँ प्रशिक्षार्थी को उसके नवीन आवंटन के आई0टी0आई0 में प्रवेश लेने के लिये हस्तांतरण पत्र जारी किया जायेगा तथा आई0टी0आई0 द्वारा उसके समस्त मूल अभिलेख नवीन आवंटित आई0टी0आई0 को प्रेषित किये जायेंगे। इस प्रकार प्रशिक्षार्थी नवीन आवंटित जनपद/संस्थान/व्यवसाय में प्रवेश हेतु सम्पर्क करेगा। उल्लेखनीय है कि उच्चीकृत हुये प्रशिक्षार्थी के कारण रिक्त हुई उसकी सीट पर उसका प्रवेश समाप्त हो जायेगा तथा वह सीट अगली मेरिट के प्रशिक्षार्थी/अभ्यर्थी को उसके विकल्प के क्रम में आवंटित कर दी जायेगी।

(F) **पंचम चरण:-**

(i) प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ चरण की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त रिक्त रह गयी आई0टी0आई0 वार/व्यवसायवार सीटों पर अभ्यर्थियों का प्रवेश जनपद स्तर की मेरिट के आधार पर किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि निजी आई0टी0आई0 में रिक्त सीटों पर प्रवेश की कार्यवाही निजी आई0टी0आई0 द्वारा स्वयं की जायेगी।

(ii) समस्त राजकीय आई0टी0आई0 में रिक्त रह गयीं समस्त सीटों की व्यावसायवार (NCVT & SCVT की पृथक-पृथक) सूची समस्त जनपदों के राजकीय आई0टी0आई के लॉग-इन पर प्रदर्शित होगी।

(iii) समस्त राजकीय आई0टी0आई0 द्वारा व्यावसायवार रिक्तियों की सूचना अपने-अपने आई0टी0आई0 के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी। इसके साथ-साथ प्रत्येक राजकीय आई0टी0आई0 द्वारा जनपद के मुख्य/स्थानीय समाचार पत्रों में रिक्तियों से सम्बन्धित निःशुल्क विज्ञप्ति प्रकाशित कराते हुये व्यापक प्रचार-प्रसार भी कराया जायेगा।

(iv) ऑन-लाइन प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत पूर्व से पंजीकृत समस्त अप्रवेशित अभ्यर्थी, जो पंचम चरण में उपलब्ध रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु इच्छुक हैं। ऐसे समस्त इच्छुक अभ्यर्थियों को उपलब्ध रिक्त सीटों के क्रम में पोर्टल पर अपने विकल्प संशोधित किया जाने का अवसर प्रदान किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि किसी भी पूर्व से पंजीकृत अभ्यर्थी द्वारा अपने विकल्प में कोई भी संशोधन नहीं किया जायेगा, तो उसके पूर्व के विकल्प के अनुरुप अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

(v) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होने पूर्व में प्रवेश हेतु आवेदन किया है तथा उनके द्वारा अपनी अर्हकारी शैक्षिक योग्यता के अन्तर्गत "मात्र कक्षा-8 उत्तीर्ण" का विकल्प चयनित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

किया है किन्तु वे कक्षा-10 उत्तीर्ण हैं तथा वे ऐसी रिक्त सीटों पर प्रवेश् हेतु इच्छुक हैं, जिनमें वांछित अर्हकारी शैक्षिक योग्यता कक्षा-10 उत्तीर्ण की है, तो उन्हे कक्षा-10 के विषयवार प्राप्तांक व पूर्णांक को पोर्टल पर भरने का विकल्प उपलब्ध कराया जायेगा। इसी प्रकार ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होने पूर्व में प्रवेश हेतु आवेदन किया है तथा उनके द्वारा अपनी अर्हकारी शैक्षिक योग्यता के अन्तर्गत "मात्र कक्षा-10 उत्तीर्ण" का विकल्प चयनित किया है तथा वे ऐसी रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु इच्छुक हैं, जिनमें वांछित अर्हकारी शैक्षिक योग्यता कक्षा-8 उत्तीर्ण की है, तो उन्हे कक्षा-8 के समेकित प्राप्तांक व पूर्णांक को पोर्टल पर भरने का विकल्प उपलब्ध कराया जायेगा।

(vi) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होने पूर्व में प्रवेश लिया है किन्तु किन्ही कारणवश अपना नाम कटा लिया है, उन्हे परिणामी रिक्त सीटों पर प्रवेश लेने का अवसर प्रदान किया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम पुनः आवदेन शुल्क जमा कर नवीन पंजीकरण कर प्रवेश हेतु प्रदर्शित/उपलब्ध हो रहीं रिक्त पर आवदेन करना होगा। सीट आवंटन की प्रक्रिया में ऐसे अभ्यर्थियों को नवीन अभ्यर्थी के रुप में संज्ञान में लेते हुये प्रवेश सम्बन्धी कार्यवाहियां सम्पन्न की जायेंगी।

(vii) समस्त राजकीय राजकीय आई0टी0आई0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष अधिक से अधिक संख्या में इच्छुक अभ्यर्थी अपने प्रवेश हेतु पोर्टल पर आवेदन करें। उल्लेखनीय है कि इस अर्थात पंचम चरण में वे नवीन अभ्यर्थी भी रिक्त सीटों के सापेक्ष प्रवेश के लिये पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर सकते हैं, जिन्होने पूर्व में आवेदन नहीं किया है।

(viii) पंचम चरण की प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों को अपने विकल्प संशोधित करने व नवीन आवदेन करने हेतु 05 दिवस का अवसर प्रदान किया जायेगा, जिसके 03 दिवस पश्चात मेरिट सूची जारी की जायेगी।

(ix) समस्त राजकीय आई0टी0आई0 में पंचम चरण में किये जाने वाले प्रवेश में आरक्षण की व्यवस्था शिथिल रहेगी अर्थात रिक्त सीटों पर वर्ग वार आरक्षण लागू नहीं होगा।

(x) **जनपद स्तर पर रिक्त सीटों को भरे जाने की कार्यवाही निम्न गठित समिति द्वारा की जाएगीः-**

1 संबंधित जनपद के नोडल प्रधानाचार्य, राजकीय आई0टी0आई0 (अध्यक्ष)।

2 जनपद के अन्य समस्त राजकीय आई0टी0आई0 के प्रधानाचार्य (सदस्य)।

3 जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य (सदस्य)

ऐसे जनपद, जिनमें मात्र एक राजकीय आई0टी0आई0 संचालित है, तो उनमें सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त निदेशक (प्रशि0/शिशिक्षु) द्वारा अन्यत्र जनपद के किसी भी प्रधानाचार्य, राजकीय आई0टी0आई0 को सदस्य के रुप में नामित किया जायेगा।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(xi) पंचम चरण में रिक्त सीटों के सापेक्ष पूर्व से पंजीकृत तथा नवीन आवेदित अभ्यर्थियों द्वारा पोर्टल पर लॉग-इन करते हुये अपनी मेरिट के प्रपत्र का प्रिन्ट कर उसकी हस्ताक्षरित प्रति को अपने जनपद के किसी भी राजकीय आई0टी0आई0 में जमा किया जा सकेगा। अभ्यर्थियों द्वारा जमा किये गये प्रिन्ट की प्राप्ति रसीद सम्बन्धित राजकीय आई0टी0आई0 द्वारा उसे उपलब्ध करायी जायेगी। इस हेतु अभ्यर्थियों को 03 दिवस का समय प्रदान किया जायेगा, जिसके पूर्ण होने के पश्चात समिति द्वारा अगेतर 02 दिवस में मात्र प्राप्त हुये समस्त आवेदन का एस0सी0वी0टी0, उ0प्र0 द्वारा निर्गत मेरिट सूची के आलोक में परीक्षण कर सीट आवंटन किया जायेगा।

(xii) यदि किसी भी आवेदित अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अवधि में अपनी मेरिट के प्रपत्र का प्रिन्ट उपलब्ध नहीं कराया जायेगा, तो उसके प्रवेश पर समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

(xiii) समिति द्वारा प्रथमतः ऐसे अभ्यर्थियों को उनके विकल्प के अनुरुप सीट आवंटित की जायेगी, जिन्होने प्रवेश प्रक्रिया के प्रारम्भ में आवदेन किया है। तत्पश्चात रिक्त रह गयीं सीटों पर नवीन पंजीकृत अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट के क्रम में उनके विकल्प के अनुरुप सीट आवंटित की जायेगी। इस प्रक्रिया में यह ध्यान रखा जायेगा कि पूर्व से पंजीकृत व नवीन आवेदित अभ्यर्थी का स्थायी पता (गृह जनपद) अथवा अस्थायी पता आवेदित जनपद का ही है।

(xiv) समिति द्वारा रिक्त सीटों के आवंटन के परिणाम को एस0सी0वी0टी0, उ0प्र0 द्वारा निर्धारित की गयी तिथि पर जारी किया जायेगा तथा अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु 03 दिवस का अवसर प्रदान किया जायेगा तथा प्रवेशित समस्त अभ्यर्थियों की सूचना एस0सी0वी0टी0, उ0प्र0 को शीघ्र उपलब्ध करा दी जाएगी।

(xv) पंचम चरण में समस्त जनपदों के निजी आई0टी0आई0 में रिक्त सीटों के सापेक्ष आरक्षण की व्यवस्था शिथिल रहेगी तथा निजी आई0टी0आई0 को यह सुविधा प्राप्त होगी कि रिक्त सीटों के सापेक्ष वह पोर्टल पर अब तक चयन से वंचित अभ्यर्थियों के साथ-साथ समस्त इच्छुक व सम्बन्धित व्यवसाय की अर्हकारी शैक्षिक योग्यता धारण करने वाले नवीन अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रदान करने का यथोचित प्रयास करें। नवीन अभ्यर्थियों को रिक्त सीटों पर प्रवेश से लेने के लिये पोर्टल पर ऑन-लाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। इसके साथ-साथ एस0सी0वी0टी0, उ0प्र0 द्वारा पोर्टल पर निजी आई0टी0आई0 के लॉग-इन में समस्त गैर प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची दृष्टव्य रहेगी।

(xvi) समस्त आई0टी0आई0 में सीट आवंटन प्रक्रिया हेतु निर्धारित किए गए उपरोक्त चरणों को समयबद्ध रूप से पूरा किया जाएगा, जिससे कि प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित की गयी अंतिम तिथि तक प्रदेश में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाये।

(G) **उक्त के अतिरिक्त प्रवेश प्रक्रिया में निम्न बिंदुओं का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा:-**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(i) एस0सी0वी0टी0, उ0प्र0 द्वारा प्रवेश के चार चरणों हेतु अर्हकारी शैक्षिक योग्यता के प्राप्तांक के आधार पर आवंटन सूचियां तैयार कर जारी की जायेगी। पंचम चरण में रिक्त रह गयी अवशेष सीटों को भरे जाने हेतु नोडल प्रधानाचार्य को अधिकृत किया जाए, जिससे प्रवेश प्रक्रिया को कम से कम समयावधि में संपन्न किया जा सके।

(ii) प्रवेश प्रक्रिया के पंचम चरण में मेरिट आधारित प्रवेश पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक जनपद के समस्त राजकीय आई0टी0आई0 में रिक्त रह गयी सीटों पर पूर्व एवं नवीन अभ्यर्थियों का प्रवेश सम्बन्धित राजकीय आई0टी0आई0 द्वारा Walk in नीति के अनुसार अंतिम तिथि तक किया जायेगा। नवीन अभ्यर्थियों को रिक्त सीटों पर प्रवेश लेने के लिये पोर्टल पर ऑन-लाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा।

(iii) राजकीय व निजी आई0टी0आई0 द्वारा मात्र चयनित/आवंटित अभ्यर्थियों की प्रविष्टियों से संबंधित अर्हकारी शैक्षिक योग्यता, आरक्षण वर्ग एवं अधिमानी अर्हताओं संबंधी मूल अभिलेखों का सत्यापन प्रवेश के समय किया जायेगा।

(iv) वित्तीय मितव्ययता के दृष्टिगत प्रत्येक चरण के आवंटन के परिणाम से सम्बन्धित समाचार/विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी। समस्त आवेदित अभ्यर्थियों का परिणाम एस0सी0वी0टी0, उ0प्र0 की वेबसाइट/पोर्टल पर दृष्टव्य रहेगा, जिसे अभ्यर्थी द्वारा अपने लॉग-इन के माध्यम से देखा/ज्ञात किया जा सकेगा। साथ ही साथ समस्त चयनित/आवंटित अभ्यर्थियों को उनके मोबाइल नंबर पर मैसेज के माध्यम से सीट आवंटन की सूचना प्रेषित की जायेगी।

(H) **प्रदेश के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत निजी क्षेत्र की चयनित संस्था (Vendor Organization) द्वारा संचालित किये जाने वाले राजकीय आई0टी0आई0 में प्रवेश प्रक्रिया हेतु उपरोक्त निर्देशों के साथ-साथ निम्नवत् प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता हैः-**

(i) प्रशिक्षण निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पी0पी0पी0) के अंतर्गत निजी क्षेत्र की चयनित संस्था (Vendor Organization) को संचालन हेतु राजकीय आई0टी0आई0-पी0पी0पी0 आवंटित किये गये हैं इनमें व्यवसायवार सीटें राजकीय व निजी आई0टी0आई0 हेतु निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क के आधार पर चिन्हित कर स्वीकृत की गयी हैं। राजकीय आई0टी0आई0-पी0पी0पी0 में:

- ❖ ऐसे अभ्यर्थी, जिनका चयन राजकीय आई0टी0आई0 हेतु निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क के अन्तर्गत स्वीकृत सीटों पर होगा, उनसे राजकीय आई0टी0आई0 हेतु निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क प्राप्त किया जायेगा।
- ❖ ऐसे अभ्यर्थी, जिनका चयन निजी आई0टी0आई0 हेतु निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क के अन्तर्गत स्वीकृत सीटों पर होगा, उनसे निजी आई0टी0आई0 हेतु निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क प्राप्त किया जायेगा।

(ii) राजकीय आई0टी0आई0-पी0पी0पी0 में राजकीय व निजी आई0टी0आई0 हेतु निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क के आधार पर व्यवसायवार चिन्हित व स्वीकृत सीटों का विवरण पोर्टल एवं विवरणी में प्रत्येक आवेदक/अभ्यर्थी/जनसामान्य हेतु दृष्टव्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

होगा।

(iii) राजकीय आई0टी0आई0-पी0पी0पी0 में राजकीय आई0टी0आई0 के प्रशिक्षण शुल्क के अधीन निर्धारित सीटों पर राजकीय आई0टी0आई0 हेतु तथा निजी आई0टी0आई0 के प्रशिक्षण शुल्क के अधीन निर्धारित सीटों पर निजी आई0टी0आई0 के लिए लागू नियम एवं शर्तों के अधीन प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।

3- कृपया उपरोक्त प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

भवदीय,
डा0 हरिओम
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव,

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महानिदेशक, प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार, नई-दिल्ली।
2. निदेशक, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5. समस्त मण्डलीय संयुक्त निदेशक (प्रशि0/शिशिक्षु), उ0प्र0।
6. समस्त जिला रोजगार सहायता अधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय आई0टी0आई0/राजकीय आई0टी0आई0-पी0पी0पी0, उ0प्र0।
8. समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी आई0टी0आई0, उ0प्र0।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
धर्मपाल पाण्डेय
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
https://shasanadesh.up.gov.in